सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 29.03.2024

अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 02 वाँछित शराब तस्करों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,
कब्जे से 02 फर्जी आरसी की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सहसों एवं *थाना लवेदी* पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/अवैध शराब तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में दिनांक 03/04.03.2024 की रात्रि को एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना लवेदी पुलिस द्वारा **04 व्यक्ति हिम्मत सिंह पुत्र जतन सिंह, विनय पुत्र संजीव सिंह, नन्दकिशोर उर्फ नन्दू पुत्र रघुराज व मोनू तोमर उर्फ राघवेन्द्र उर्फ बजरंगी पुत्र रामसजीवन को 01 ट्रक कंटेनर, 01 कार टाटा टिआगो एवं 01 कार होण्डा सिटी सहित गिरफ्तार किया गया था, कन्टेनर एवं दोनों कार की तलाशी लेने पर उनमें से 203 पेटी विभिन्न कम्पनी की अंग्रेजी शराब (कुल अनुमानित कीमत 01 करोड़ रूपये) बरामद की गयी थी तथा दिनांक 09.03.2024 को नितिन तिवारी पुत्र अशोक कुमार तिवारी, पंकज बघेल पुत्र मदन गोपाल को गिरफ्तार किया गया** शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी इसी के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को थाना सहसों एवं थाना लवेदी पुलिस द्वारा थाना लवेदी क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों को **नगला तिवारी मोड़ पर मन्दिर के पास से समय 10.50 बजे गिरफ्तार** किया गया।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध मे थाना लवेदी पर मु0अ0सं0 11/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम धारा 420 भादवि में धारा 467/468/471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हैं तथा फर्जी आरसी एवं नम्बर प्लेट का प्रयोग अलग-अलग राज्यों में पुलिस से बचने के लिये करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सनी पुत्र रामआसरे निवासी बगैना खुर्दकलां थाना एरवाकटरा जनपद औरैया उम्र 28 वर्ष।
02. हरीकिशन पुत्र रामलाल निवासी ग्राम हरटौली थाना दिबियापुर जनपद औरैया उम्र 65 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 11/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना लवेदी जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 आरसी BR06AT2244 (फर्जी/कूटरचित)
2. 01 आरसी BR44AT7932 (फर्जी/कूटरचित)

पुलिस टीम-

प्रथम टीमः- निरी0 श्री रणबहादुर सिंह प्रभारी थाना सहसों, उ0नि0 सोमवीर सिंह, का0 मनीष कुमार, का0 चालक अजय तोमर।

द्वितीय टीमः- उ0नि0 श्री सनत कुमार थानाध्यक्ष लवेदी, उ0नि0 संजय कुमार, का0 धर्मपाल।